फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

[वादी] : श्री सुरेशकुमार	बनाम	विपक्षी : श्री जयप्रकाश व अन्य
[किस्म] मुकदमा – धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम		पत्रावली संख्या : 30/22

कार्यवाही विवरण

दिनाक : 10.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2 अनुपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। प्रकरण में अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा द्वारा प्रार्थी श्री श्याम जणवा पिता भंवरलाल जणवा की तरफ से प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. पुर्व में पेश किया गया साथ ही दस्तावेज पेश किये गये जिसमें निवेदन किया की प्रकरण के वादी सुरेश कुमार ने वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से अधिकार की भूमि को मुझ प्रार्थी श्री श्यामलाल जणवा पिता भंवरलाल जणवा को विक्रय कर दी हैं और प्रार्थी का नाम नामान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुका है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना भी न्यायालय में पेश हो चुकी है। यह कि वादग्रस्त भूमि से वादी सुरेश कुमार का अब कोई हक अधिकार नहीं रहा है। उनकी समस्त भूमि पर मुझ प्रार्थी का हक अधिकार निहित हो गया है जिससे प्रार्थी द्वारा वादी श्री सुरेशकुमार के बजाय स्वयं (श्यामलाल जणवा पिता भंवरलाल जणवा) को वादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति से स्पष्ट है कि वादी श्री सुरेशकुमार पिता चोथमल बडाला द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी श्री श्यामलाल जणवा पिता भंवरलाल जणवा के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया है जिसका अंकन तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपने बंटवाडा प्रस्ताव में किया है कि वादी श्री सुरेशकुमार पिता चोथमल बडाला ने अपनी जमीन बेचान से श्री श्यामलाल जणवा पिता भंवरलाल जणवा को विक्रय कर दी जिसका स्वीकृत नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 24.04.2025 है। वादी श्री सुरेशकुमार द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी को बेचान किये जाने से वादी श्री सुरेश कुमार का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हित निहित शेष नहीं रहता है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी श्री सुरेशकुमार के स्थान प्रार्थी श्री श्यामलाल जणवा पिता भंवरलाल जणवा को वादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा संशोधित [illegible] पेश किया जा चुका है। शामिल फाईल रहें। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 अनुपस्थित है। अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जता कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:19:41 IST.
Reason: SelfAttested

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात को तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। पाया कि बंटवाडा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा हस्ताक्षर किये गये। प्रतिवादी सूचना के अनुपस्थित है। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं जताई तथा मौके पर काश्तकारों लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। शुल्क 100/- अक्षरें एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजीयात निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म
1	जयप्रकाश पुत्र फतहलाल जाति महाजन सा. देह खातेदार	3978	0.020	बारानी प्र.
		3981	0.060	बारानी प्र.
		3974	0.020	बारानी प्र.
		3968/1	0.2540	बारानी प्र.
	योग	**किता 4**	**0.3540**	–
2.	श्यामलाल पुत्र भंवरलाल जाति जणवा सा. देह खातेदार	3969	0.010	बारानी प्र.
		3972	0.010	बारानी प्र.
		3973	0.050	बारानी प्र.
		3968/2	0.2840	बारानी प्र.
	योग	**किता 4**	**0.3540**	–
3.	देवीसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	3968/3	0.0520	बारानी प्र.
	योग	**किता 1**	**0.0520**	–

अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:19:41 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया,R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 30/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/400s

अनवान

1. श्री सुरेशकुमार पिता चौथमल जी वडाला (महाजन) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज के बजाय–
   श्री श्यामलाल जणवा पिता भंवरलाल जणवा निवासी जाटो का मोहल्ला खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............वादी

बनाम

1. श्री जयप्रकाश पिता फतहलाल जी सिंहल (महाजन) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री देवीसिंह पिता किशनसिंह जी राठौड (राजपुत) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री भूमिधारी जरिए श्रीमान तहसीलदार साहब भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
1. श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा, अधिवक्ता वादी।
2. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.07.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा खेरोदा पटवार इल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जयप्रकाश पुत्र फतहलाल जाति महाजन सा. देह खातेदार	3978	0.020	बारानी प्र.	0.18
		3981	0.060	बारानी प्र.	0.54
		3974	0.020	बारानी प्र.	0.18
		3968/1	0.2540	बारानी प्र.	2.236
	योग	किता 4	0.3540	–	3.186
2.	श्यामलाल पुत्र भंवरलाल जाति जणवा सा. देह खातेदार	3969	0.010	बारानी प्र.	0.09
		3972	0.010	बारानी प्र.	0.09
		3973	0.050	बारानी प्र.	0.45
		3968/2	0.2840	बारानी प्र.	2.556
	योग	किता 4	[illegible]	–	3.186
3.	देवीसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	3968/3	0.05[illegible]	बारानी प्र.	0.468
	योग	किता 1	[illegible]	–	0.468

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस [illegible] पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कि[illegible] जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:19:41 IST
Reason: SelfAttested